

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति

बजट/एफ०एम०आर०शीर्ष(अनुलग्नक १ के आधार पर)-ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या(अनुलग्नक १ के आधार पर)- B 1.22

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

अवधारणा :- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में "ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" के गठन की अवधारणा है जो संबंधित पंचायत की देख-रेख में संचालित किये जाएंगे। जिसमें राजस्व ग्राम के सभी टोलों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण स्तर पर जनस्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं पर्यावरण रख-रखाव को भी सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य:- पंचायत को प्रतिवर्ष प्रत्येक राजस्व ग्राम के आधार पर 10000/- (दस हजार रुपये) रुपये की Untied Fund उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग राजस्व ग्राम के नागरिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधि में करेंगे।

संरचना:- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (VHSC) को पंचायती राज के अन्तर्गत गठित "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) के द्वारा Co-opt कर लिया गया है। इसकी संरचना पंचायत विभाग के "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) के नियमानुकूल है। यदि पंचायत के स्तर पर समिति का गठन नहीं किया गया है तो समिति का गठन पंचायती राज के पत्र के आलोक में पंचायत स्तर पर "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य पंचायत के चयनित सदस्य होंगे इन चयनित सदस्यों में से एक आम सहमति/बहुमत से अध्यक्ष नामित होंगे। इस समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 5 होगी एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय ए०एन०एम० सचिव के रूप में कार्य करेगी।

प्रक्रिया:- जिला स्वास्थ्य समिति को 10000/- (दस हजार रुपये) रुपये प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु एक वर्ष के लिए राशि आवंटित किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति 10000/- (दस हजार रुपये) रुपये प्रति राजस्व ग्राम के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वितरित करेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक कि पंचायत स्तर पर "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) का गठन सुनिश्चित करने की जवाबदेही होगी एवं वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 10000/- (दस हजार रुपये) रुपये प्रत्येक राजस्व ग्राम के आधार पर पंचायत में गठित समिति के बैंक खाता में राशि उपलब्ध कराए। (जैसे- यदि एक पंचायत में गठित "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) के अन्तर्गत 3 राजस्व ग्राम आते हैं तो उस समिति को 30000/- (तीस हजार रु०) रुपये दिये जाएंगे)। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सभी "लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) के सदस्यों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, जिसमें इसे संचालित करने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

प्रत्येक राजस्व ग्राम के स्तर पर एक "निगरानी समिति" का गठन किया जायेगा। समिति के सदस्य ग्रामीण स्तर पर गठित किये जाने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य होंगे जो निम्नवत हैं:

- ग्राम पंचायत के मनोनित सदस्य - वार्ड कमिशनर।
- आशा।
- आंगनवाड़ी सेविका
- स्वयं सहायता समूह के नेता।

निगरानी समिति का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि उस राजस्व ग्राम के लिए आवंटित 10000 (दस हजार रुपये) रु० में राशि उसी गाँव के उन्नयन (Development) कार्य हेतु खर्च किया जाए।

- ईकाई राशि-
1. @ Rs.-10,000 प्रति राजस्व ग्राम प्रतिवर्ष
 2. @ Rs.-2500 / PHC प्रतिवर्ष

वित्तीय दिशा-निर्देशन-

इस राशि को उक्त समिति निम्नलिखित दिशा-निर्देश के आधार पर खर्च कर सकेगी ।

1. आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित महिला मंडल की मासिक बैठक में चिकित्सक की सेवा प्राप्त करने हेतु एवं इस कार्य में होने वाले व्यय के लिए किया जायेगा । निजी योग्य चिकित्सकों को अधिकतम 500/- (पाँच सौ रु०) प्रति महिला मंडल दिवस में आकर ग्रामीणों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु देय होगा ।
2. ग्राम स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की गतिविधि, स्वच्छता अभियान, पोषाहार, एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए खर्च किये जा सकते हैं ।
3. इस राशि का उपयोग उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों में भी किया जा सकता है । जैसे ग्राम स्तरीय सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, विद्यालयों में स्वास्थ्य अभियान, आंगनवाड़ी स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान या जरूरत के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र पर सामानों की उपलब्धता कराने में, घरेलू सर्वेक्षण, जीवाणु जनित रोग की रोकथाम में, आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त करने में, आई0ई0सी0 से संबंधित नोटिस/प्रचार प्रसार सामग्री की छपाई आदि में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ।

इस राशि का उपयोग अपवाद स्वरूप निम्नलिखित स्थिति में भी की जा सकती है । जैसे जरूरत के समय जरूरतमंद घरों को राशि की उपलब्धत करायी जा सकती है जिसे वह पुनः किस्तों में वापस कर देगे । असाधारण दशा में अत्यंत गरीब परिवार या व्यक्ति को समिति द्वारा निर्णय लेकर राशि अनुदान के रूप में दी जा सकती है ताकि उक्त परिवार/व्यक्ति के जरूरत को पूरा किया जा सके ।

सभी ग्रामीण इस चीज के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अनुदान की राशि इस समिति को दे सकें अर्थात् उक्त समिति अन्य स्रोत से अनुदान लेने के लिए स्वतंत्र है ।

वित्तीय रख-रखाव :-

राशि उपयोग करने के तरीके :-

10,000/-रु० (दस हजार रुपये) राजस्व ग्राम की दर से राशि के उपयोग की जवाबदेही पंचायत स्तर पर गठित "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति"(PHFWRSC) को होगी ।

पंचायत स्तर पर गठित "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुरूप राशि व्यय करने के लिए सक्षम होंगे । राशि व्यय करने का निर्णय समिति के द्वारा आहूत बैठक में किया जाएगा । राशि को बैंक खाते से निकासी समिति में अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा । इसके लिए एक पंजी सचिव के द्वारा संधारित की जाएगी जिसमें उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुसार किये गये कार्यों का राजस्व ग्राम के आधार पर व्यय (व्यय के साथ) दर्शाया जाएगा जिस पर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर होगा । व्यय की गयी राशि का विपत्र एक गार्ड फाईल में सचिव के द्वारा संधारित की जाएगी । जिसे जरूरत के अनुसार सार्वजनिक जाँच के लिए उपलब्ध कराये जा सकेंगे । जहाँ तक उपयोग की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रश्न है समिति द्वारा त्रैमासिक रूप से राजस्व ग्राम के अनुसार किये गये खर्च को सिर्फ समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजी जाएगी यहाँ यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ कोई भी विपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी का दायित्व होगा कि समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र को संकलित कर विहित प्रपत्र में जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित करेगी ।

आशातीत परिणाम:- "लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति" (PHFWRSC) एक स्वतंत्र समिति होगी जो प्राथमिकता के आधार पर आशातीत परिणाम का निर्णय ले सकती है । उम्मीद की जाती है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर यह समिति आशातीत परिणाम दे सकेगी ।

- मासिक महिला मंडल की बैठक में चिकित्सकीय परामर्श ।
- माता एवं शिशु का शत-प्रतिशत टीकाकरण ।
- लेखा संधारण एवं ससमय खर्च की विवरणी उपलब्ध कराना ।
- शत-प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराना ।
- ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाना ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 9087, Dated-03-02-09

(ख) 9219, Dated-21-02-09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - श्री रंजित समैया

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर - 9470003025

[Signature]